न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आदेश

जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुयी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 981, दिनांक 23.01.2025 के क्रम में मैं, डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–163 के तहत पटना जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 09:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियाँ को पुनर्निर्धारित करेंगे। प्री–बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 26.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 31.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 26.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

ह0/-
(डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह)
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1109/विधि पटना, दिनांक–26/01/2025

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना जिला/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1109/विधि पटना, दिनांक– 26/01/2025

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/01/25
जिला दंडाधिकारी,
पटना।

Scanned with OKEN Scanner